

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 178601 पटना,  
25/02/2014 (Mon.) 102-30/2013  
प्रेषक,

दिनांक 24/02/2014

अमृत लाल मीणा,  
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार ।

विषय :- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत संविदा आधारित नियुक्ति के संबंध में  
मार्गदर्शन ।


महाशय,

इंदिरा आवास योजना के पर्यवेक्षण तंत्र हेतु ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, ग्रामीण  
लेखा सहायक एवं ग्रामीण आवास सहायक के पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में विभाग द्वारा पूर्व  
से निर्गत दिशानिर्देशों का संदर्भ किया जाय ।

2. विभाग द्वारा विभिन्न पदों के लिए प्राप्त किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्रों में  
से, मेधा क्रम में, जिलों की पदवार स्वीकृत पदों के 4 गुणा अभ्यर्थियों की "Final List of  
Shortlisted Candidates" उपलब्ध करायी गयी थी ।

3. यह अपेक्षा की गयी थी कि Final List of Shortlisted Candidates में सन्निहित  
अभ्यर्थियों की Counselling / Document Verification के उपरांत स्वीकृत पदों के अनुसार Final  
Select List एवं उतनी ही संख्या में Final Wait List तैयार की जाय ।


4. सूचनानुसार कई जिलों में Final List of Shortlisted Candidates में से पर्याप्त  
अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाये हैं, अतः Final Select List एवं Final Wait List बनने में कठिनाई  
है। अतः सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जिले से संबंधित विभिन्न पदों के  
लिए प्राप्त हुए सभी अभ्यर्थियों का डाटा, जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाय ।  
जिला पदाधिकारी इस डाटा से जिले की आवश्यकता के अनुरूप Final List of Shortlisted  
Candidates के बाद के अभ्यर्थियों को भी मेधा क्रम में Counselling / Document Verification  
के लिए आमंत्रित कर सकते हैं । Counselling / Document Verification के उपरांत Documents

  
24/2/14

Scan कराकर, अपलोड कराकर जिले के विभिन्न पदों हेतु स्वीकृत संख्या के अनुरूप Final Select List एवं उतनी ही संख्या में Final Wait List बनानी है। स्पष्टतः आवश्यकतानुसार मेधा क्रम में Final List of Shortlisted Candidates (स्वीकृत पदों के 4 गुना संख्या) के नीचे भी जाया जा सकता है।

5. यह सुनिश्चित किया जाय कि चयन प्रक्रिया में मेधा क्रम अनिवार्यतः पालन किया जाय। आरक्षण के प्रावधानों का शत-प्रतिशत पालन किया जाय तथा विभाग से पूर्व में निर्गत निर्देशों के आलोक में कार्रवाई की जाय। डाटा का लिंक NIC द्वारा [www.iay.bih.nic.in](http://www.iay.bih.nic.in) पर दिया जा रहा है। अग्रेत्तर समन्वय हेतु श्री संजय कृष्ण, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग एवं श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, तकनीकी निदेशक (NIC) से सम्पर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन


 21.2.14

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 178601 पटना, दिनांक :- 24/02/2014

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त/ श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, तकनीकी निदेशक, NIC, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 21.2.14

(संजय कृष्ण)

विशेष कार्य पदाधिकारी